



इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या - 467 वर्ष 2026

फूल सिंह

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 2 अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता : अखिलेंद्र सिंह, ललता प्रसाद, प्रभात कुमार सिंह

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता : मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार,

1. श्री अखिलेंद्र सिंह, विद्वान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता एवं श्री मनीष कुमार, विद्वान स्थायी अधिवक्ता, राज्य के पक्षकार, को सुना गया।
2. याचिकाकर्ता का प्रकरण यह है कि उसे वर्ष 2008 से वन विभाग में दैनिक वेतनभोगी, सुरक्षा प्रहरि के रूप में नियोजित किया गया और दावा यह है कि वह लगातार बिना किसी अवकाश के उच्चाधिकारियों की पूर्ण संतुष्टि के साथ कार्यरत है, परन्तु याचिकाकर्ता को न्यूनतम वेतनमान प्रदान नहीं किया गया।
3. वर्तमान याचिका में प्रार्थना यह है कि याचिकाकर्ता को वेतनमान का न्यूनतम हिस्सा प्रदान किया जाए।
4. विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि जो भी प्रश्न उत्पन्न हो सकता है, वह यह है कि याचिकाकर्ता पहले से कार्यरत है या नहीं और उसकी पात्रताएँ क्या हैं; इस प्रकार के प्रारंभिक प्रश्नों का निवारण द्वितीय प्रत्यर्थी, क्षेत्रीय निदेशक/प्रभागीय निर्देशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, ललितपुर द्वारा किया जाना है। अतः, उनके अनुसार याचिकाकर्ता उक्त प्राधिकारी के समक्ष प्रार्थना प्रस्तुत कर सकता है।
5. उक्त प्रस्तुति पर याचिकाकर्ता के अधिवक्ता का कोई आपत्ति नहीं है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



6. पक्षकारों की प्रस्तुतियों को ध्यान में रखते हुए, याचिका को यह निर्देश देते हुए निस्तारित किया जाता है कि याचिकाकर्ता दिनांक 06.02.2026 तक याचिका की स्व-प्रतिलिपि के साथ विस्तृत प्रतिनिधित्व द्वितीय प्रत्यर्थी, क्षेत्रीय निदेशक/प्रभागीय निर्देशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, ललितपुर के समक्ष प्रस्तुत करे। उक्त प्रतिनिधित्व पर, द्वितीय प्रत्यर्थी याचिकाकर्ता की पात्रता एवं दावे की जांच करे और दो महीनों के भीतर आदेश पारित करे। यदि याचिकाकर्ता उपरोक्त न्यायालयीन निर्णयों के प्रकाश में उक्त लाभों का पात्र है - जैसे **याचिका संख्या 12358 वर्ष 2019 (राम नरेश और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य)**, **याचिका संख्या 18119 वर्ष 2019 (राम उत्तर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य)**, **याचिका संख्या 18693 वर्ष 2020 (मोहम्मद साहिम बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य)**, **याचिका संख्या 2844 वर्ष 2023 (सुरेश बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य)** - तो उक्त लाभ याचिकाकर्ता को कानून के अनुसार यथाशीघ्र प्रदान किए जाएँ।

19 जनवरी, 2026

ए. प्रजापति

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।